UPAU010010872026

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया**

उपस्थितः–**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP–2391

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**385/2026**

शैलेन्द्र कुमार राजपूत उर्फ बाबा पुत्र राकेश निवासी ग्राम आलमगीरपुर, थाना अजीतमल जिला औरैया

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**

**मुकदमा अपराध संख्या**–333/2025
**धारा**–318(4),316(2),351(2)बी.एन.एस.
**थाना**–अजीतमल, **जनपद** औरैया

**दिनांकः 30.03.2026**

**1.** प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **385/2026** प्रार्थी/अभियुक्त **शैलेन्द्र कुमार राजपूत उर्फ बाबा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **333/2025** अन्तर्गत धारा **318(4),316(2),351(2)बी.एन.एस.**, थाना **अजीतमल**, जनपद औरैया के मामले में अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2.** अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी सुखबीर सिंह पुत्र श्री बालक राम ग्राम हलौआ का निवासी है। प्रार्थी को ग्राम की मिथलेश कुमारी पत्नी राधे किशन भगत ने बताया कि उसकी जो प्रधान मंत्री आवास (ग्रामीण) दिलवाता है उससे अच्छी जुगाड़ है वह उसके माध्यम से रुपये दो वह उसको कालोनी दिलवा देगा और उन्होंने शैलेन्द्र कुमार राजपूत उर्फ बाबा पुत्र श्री राकेश कुमार (मो0–6395441358) निवासी आलमगीर पुर से बात करवा कर दो आवासों एक आवास प्रार्थी व दूसरा आवास अपनी चाची प्रीती के लिए 100350/–एक लाख तीन सो पचास रुपये (50000/–प्रति आवास) के रुपये फोनपे के एक माध्यम से अलग अलग क्यू आर कोडों पर डलवा लिए जिसका पूरा विवरण उसके पास है। अब शैलेन्द्र कुमार उर्फ बाबा उसको हर बार नई दिनांक दे देता है और 18/05/2025 को सारे रुपये वापस देने के लिए बोला था और जब उसने फोन किया तो वह धमकाने लगा और बोल रहा था कि अगर कहीं शिकायत की तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा और जान से मरवा देंगे तथा पुलिस भी उसका कुछ नहीं करेगी, उसके नाम से कई शिकायतें है पर एक फोन करेगा और कुछ नहीं होगा। उसका उच्च अधिकारियों से रोज का उठना बैठना है। उसका कोई बाल भी बांका नही कर सकता।

**3.** प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध थाना अजीतमल, जनपद औरैया में अ०सं०–0333/2025, राज्य बनाम मिथलेश कुमारी आदि, अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 351 (2) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया गया है तथा आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। वादी मुकदमा ने 100350 /– रूपये वह व सहअभियुक्त मिथलेश कुमारी द्वारा लेना बताया गया है। लेन देन के बावत उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, उसके द्वारा किसी माध्यम से आवास के नाम पर रूपया नहीं लिया गया है, न ही उसके खाते में कोई रूपया आया है, न ही नकद देना बताया गया है, इस कार का कोई साक्ष्य उसके विरूद्ध नहीं है। विवेचना में जिन खाता से रूपया आया है, वह उसके पम्प बजरगं बली अटसू के नाम पर रूपया ट्रान्सफर किए गये। पम्प मालिक द्वारा विवेचक को लिखकर दिया कि उसके पम्प से पेट्रोल/डीजल की खरीददारी की गई। उक्त तेल के पैसे उसके खाते में आये, जिसका विवरण पत्र द्वारा

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.30 16:45:40 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

दिनांक 07.06.2025 को विवेचक को लिखकर दिया जो पत्रावली में संलग्न है। उसके नाम जो खाते है, उसका विवरण विवेचक द्वारा नहीं दिया गया, यहाँ तक कि वादी का कहना है कि उसने कोई पेट्रोल डीजल नहीं लिया बल्कि पेट्रोल पम्प वाले से रूपये प्राप्त है। सहअभियुक्त मिथलेश कुमारी वादी के गांव की है, उसकी ना तो वह रिश्तेदार है और न ही उसका उससे कोई लेना देना है। विवेचक द्वारा बताये गये साक्षीगण जितेन्द्र कुमार, शिवराम राजपूत, विमल राजपूत, सत्येन्द्र कुमार द्वारा उसको रूपये देना बताया गया कि नकद रूपये दिए या किसी तरह से ट्रान्सफर किए प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार अपराध एक साथ नहीं बन सकता है, दोनों कि परिभाषा अलग–अलग है, जो कि दीवानी विवाद है। उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, उसको उक्त मुकदमा में झूठा नामजद किया गया है। वह प्रतिष्ठावान व्यक्ति है और उसकी समाज में अच्छी छवि है। थाना हाजा की पुलिस उसको पकड़ना चाहती है, थाना पुलिस द्वारा उसके घर पर लगातार दविश देने से उसकी समाज में छवि धूमिल हो रही है। वह दौरान अग्रिम जमानत विवेचक/न्यायलय द्वारा आहुत करने पर उपस्थित होने के लिए तत्पर रहेगा, मुकदमें से सम्बंधित साक्ष्य प्रभावित नहीं करेगा। पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर देने के लिए और जब भी अपेक्षित हो उपलब्ध रहेगा। वह अभियोग से सम्बंधित तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को पृकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्त्तः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नही देगा। वह न्यायालय की अनुमति के बिना भारत की सीमा के बाहर नहीं जायेगा। अतः उसको मु०अ०सं०–0333/2025, थाना अजीतमल, राज्य बनाम मिथलेश कुमारी आदि, अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 351 (2) बी०एन०एस० में अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

**4.** विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त को प्रार्थी को ग्राम कालोनी में आवास दिलवाने के बहाने उससे व उसकी चाची प्रीती से 100350/–एक लाख तीन सो पचास रुपये (50000/–प्रति आवास) रुपये फोन पे के एक माध्यम से अलग अलग क्यू आर कोडों पर डलवाए जाने एवं जब उनके द्वारा सारे रुपये वापस देने के लिए बोला तब उसको धमकाया गया तथा शिकायत नहीं करने व रूपये नहीं देने व जान से मरवा देने की धमकी दी गयी। अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

**5.** उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**6.** प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर प्रार्थी को ग्राम कालोनी में आवास दिलवाने के बहाने उससे व उसकी चाची प्रीती से 100350/–एक लाख तीन सो पचास रुपये (50000/–प्रति आवास) रुपये फोन पे के एक माध्यम से अलग अलग क्यू आर कोडों पर डलवाए जाने एवं जब उनके द्वारा सारे रुपये वापस देने के लिए बोला तब उसको धमकाया गया तथा शिकायत नहीं करने व रूपये नहीं देने व जान से मरवा देने की धमकी देने का आरोप है। घटना दिनांक 18.05.2025 की है परन्तु घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.06.2025 को समय 22.39 बजे पर दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कारण अभियोजन द्वारा नहीं बताया गया है। घटना का कोई जन स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सी.डी. परचा नम्बर 3 के पृष्ठ 3 पर साक्षी बादरियाफ्त ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. में विवेचक के समक्ष यह कथन किया है कि सुखवीर सिंह के मोबाइल से पेट्रोल पम्प पर डीजल पेट्रोल की बिक्री खरीद की गयी है। इस प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। इस प्रकरण में सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रकरण में ऐसा भी कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विचारण में सहयोग नहीं किया जा रहा हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य एस.एल.पी. क्रिमिनल नम्बर 5191/2021** के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**7.** अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त **शैलेन्द्र कुमार राजपूत उर्फ बाबा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **333/2025** अन्तर्गत धारा **318(4),316(2),351(2)बी.एन.एस.**, थाना–**अजीतमल** जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **385/2026** न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **पचास हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक जमानती सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए Bacchi Devi v. State of U.P. and Another (2025:AHC:136034) तथा अभियुक्त निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा–

(i)) कि वह उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

(ii) कि वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iii) कि वह न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि को प्रस्तुत होगा तथा विचारण में विलम्ब नहीं करेगा।

( पारूल जैन )
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया